

(निदेशालय, क्षेत्रीय सेवायें)

दिनांक 14/01/2019 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

मा० कुलपति जी के अनुमोदन के क्रम में निदेशालय, क्षेत्रीय सेवायें के अधीन संचालित क्षेत्रीय केन्द्र एवं अध्ययन केन्द्रों के सुचारू संचालन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन हेतु गठित समिति (कुलसचिव कार्यालय से निर्गत कार्यालय आदेश संख्या य००५००५०/आर१/का०वि०/2019/511, दिनांक-05/01/2019) की बैठक आज दिनांक 14/01/2019 को सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे।

- 01—प्रोफेसर गिरिजा पाण्डे — निदेशक, निदेशालय क्षेत्रीय सेवायें
- 02—डॉ० एम० एम० जोशी — प्रभारी, प्रवेश अनुभाग
- 03—डॉ० सूर्यभान सिंह — प्रभारी, पुस्तक वितरण अनुभाग
- 04—डॉ० सुमित प्रसाद — परीक्षा नियंत्रक के प्रतिनिधि
- 05—डॉ० मोहम्मद अकरम — सहायक निदेशक, निदेशालय क्षेत्रीय सेवायें
- 06—डॉ० शालिनी चौधरी — सहायक निदेशक, निदेशालय क्षेत्रीय सेवायें
- 07—डॉ० घनश्याम जोशी — समन्वयक, निदेशालय क्षेत्रीय सेवायें
- 08—डॉ० गोपाल दत्त — समन्वयक, निदेशालय क्षेत्रीय सेवायें
- 09—फिरोज खान — कनिष्ठ सहायक, निदेशालय क्षेत्रीय सेवायें

बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गई।

01—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (दूरस्थ शिक्षा) विनियम-2017 अनुच्छेद 14(1) में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत जिन अध्ययन केन्द्रों द्वारा संबद्धता सम्बन्धी प्रपत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध नहीं कराये गये हैं वे सभी अध्ययन केन्द्र दिनांक 31/12/2018 के उपरान्त स्वतः ही बन्द हो गये हैं। ऐसे अध्ययन केन्द्रों में नामांकित विद्यार्थियों को मॉडल अध्ययन केन्द्र/अन्य समीपरथ अध्ययन केन्द्र में स्थानान्तरित कर दिया जाना चाहिए।

02— जिन विद्यार्थियों को अन्य अध्ययन केन्द्र में स्थानान्तरित किया जाएगा उसकी सूचना विद्यार्थियों को एस०एम०एस०, ईमेल तथा बेवसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी। विद्यार्थी वन व्यू के माध्यम से अपने अध्ययन केन्द्र सम्बन्धी परिवर्तन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

03— अन्य अध्ययन केन्द्रों में स्थानान्तरित किये गये विद्यार्थी यदि आवंटित अध्ययन केन्द्र परिवर्तित करना चाहते हैं तो उन्हे 30 दिन के अन्दर अपना आवेदन पत्र विश्वविद्यालय को प्रेषित करना होगा। इस परिवर्तन के लिए आवेदक से अध्ययन केन्द्र परिवर्तित शुल्क देय नहीं होगा।

04— विश्वविद्यालय द्वारा बंद किये गए अध्ययन केन्द्र में पंजीकृत विद्यार्थियों के नये अध्ययन केन्द्र में स्थानान्तरण के उपरान्त विद्यार्थी के सत्रीय कार्य से सम्बन्धित समर्त कार्यवाही नये अध्ययन केन्द्र अथवा सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सम्पन्न की जाएगी।

05— बैठक में यह भी चर्चा की गई कि छात्र के अध्ययन केन्द्र परिवर्तन के दौरान यदि नवीन अध्ययन केन्द्र में सम्बन्धित पाठ्यक्रम संचालित नहीं किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में पाठ्यक्रम

सम्बन्धी निर्णय भी लिया जाना आवश्यक होगा। इस हेतु निदेशकों की बैठक में विचार किये जाने का निर्णय किया गया।

06— अध्ययन केन्द्र बन्द हो रहे हैं उन सभी अध्ययन केन्द्रों में पंजीकृत विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री प्रेषित किये जाने हेतु एम०पी०डी०डी० को अलग रणनीति बनाये जाने का अनुरोध किया गया।

07— प्रशासनिक समन्वय स्थापित किये जाने के लिये क्षेत्रीय कार्यालय प्रभारियों/कार्यालय सहायकों के साथ एक बैठक किये जाने का सुझाव दिया गया।

(डॉ० घनश्याम जोशी)
समन्वयक, क्षेत्रीय सेवायें

(डॉ० सुमित प्रसाद)
प्रतिनिधि—परीक्षा नियंत्रक

(प्रोफेसर गिरिजा पाण्डे)
निदेशक, क्षेत्रीय सेवायें

(डॉ० गोपाल दत्त)
समन्वयक, क्षेत्रीय सेवायें

(डॉ० मोहम्मद अकरम)
सहा० निदेशक, क्षेत्रीय सेवायें

(डॉ० एम० एम० जोशी)
प्रभारी, प्रवेश अनुभाग

(फिरोज खान)
कनिष्ठ सहायक, क्षेत्रीय सेवायें

(डॉ० शालिनी चौधरी)
सहा० निदेशक, क्षेत्रीय सेवायें

(डॉ० सूर्यभान सिंह)
प्रभारी, पुस्तक वितरण अनुभाग

अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

(माननीय कुलपति)